

FAQ for Apprentice Act, 1961

प्रश्न-1. प्रशिक्षुओं के चयन हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए ?

उत्तर- प्रशिक्षुओं के चयन हेतु उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा 15 (पंद्रह) वर्ष होनी चाहिए।

प्रश्न-2. प्रशिक्षुओं के चयन हेतु अधिकतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए ?

उत्तर- प्रशिक्षुओं के चयन हेतु उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 24 (चौबीस) वर्ष होनी चाहिए।

नोट:- (1) अनु. जाति/अनु. जनजाति के उम्मीदवारों को 05 वर्ष की छूट है।

(2) अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 03 वर्ष की छूट है।

(3) पी.डब्ल्यू.बी.डी. के उम्मीदवारों को 10 वर्ष (अनु. जाति/अनु. जनजाति के उम्मीदवारों को 15 वर्ष एवं पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 13 वर्ष) की छूट है।

(4) भूतपूर्व सैनिकों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट रक्षा बलों में प्रदान की गई सेवा की सीमा तक अतिरिक्त 10 वर्ष और 03 वर्ष तक की और छूट दी गई है, बशर्ते कि उन्होंने लगातार न्यूनतम 06 माह की सेवा पूर्ण की हो।

प्रश्न-3. अन्य पिछड़ा वर्ग(OBC) के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र कितने समय तक पुराना हो सकता है ?

उत्तर- अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए प्रमाण पत्र अधिसूचना के अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से 01(एक) वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए (अधिसूचना के अनुसार निर्धारित प्रारूप में)।

प्रश्न-4. उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए ?

उत्तर- उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 50% कुल अंको के साथ 10वीं कक्षा की परीक्षा या इसके समकक्ष (10+2 परीक्षा प्रणाली के तहत) उत्तीर्ण होना चाहिए (न्यूनतम अंक 50% से कम होने पर ऑनलाईन पोर्टल पर आगे की क्रिया नहीं की जा सकेगी) और उसके पास एनसीवीटी/एससीवीटी द्वारा जारी अधिसूचित ट्रेड में राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र भी होना चाहिए।
नोट:- उम्मीदवारों को अधिसूचना जारी होने की तिथि तक निर्धारित योग्यता पहले ही उत्तीर्ण कर लेनी चाहिए। अर्हक परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी और वे अभ्यर्थी जिनकी अर्हक परीक्षा का परिणाम प्रतीक्षित है, पात्र नहीं होंगे।

प्रश्न-5. प्रशिक्षण हेतु उम्मीदवारों का चयन किस आधार पर किया जायेगा ?

उत्तर- उम्मीदवारों का चयन अधिसूचना के तहत आवेदन करने वाले पात्र उम्मीदवारों के संबंध में तैयार की गई मेरिट सूची के आधार पर किया जायेगा।

मेरिट सूची 10वीं कक्षा की परीक्षा या इसके समकक्ष (10+2 परीक्षा प्रणाली के तहत) और आईटीआई/ट्रेड के प्राप्तांकों से प्राप्त औसत अंकों के आधार पर तैयार की जायेगी।

दो अभ्यर्थी के अंक समान होने की स्थिति में अधिक आयु वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि जन्मतिथि भी समान है तो पहले 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार पर पहले विचार किया जायेगा।

उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत के अवरोही क्रम में स्लॉट की संख्या के बराबर, ट्रेड वार, मंडल/इकाई वार और समुदाय वार एक मेरिट सूची तैयार की जायेगी।

प्रश्न-6. किन उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क में छूट दी जायेगी ?

उत्तर- अनु. जाति, अनु. जनजाति, पीडब्ल्यूबीडी एवं महिला वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क में छूट दी जायेगी।

प्रश्न-7. उम्मीदवारों के चयन के पश्चात् प्रशिक्षुओं की प्रशिक्षण अवधि क्या होगी ?

उत्तर- उम्मीदवारों के चयन के पश्चात् प्रशिक्षुओं की प्रशिक्षण अवधि 01(एक) वर्ष की होगी।

प्रश्न-8. उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या होंगे ?

उत्तर- उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज निम्नानुसार होंगे-

- (1) स्पष्ट पासपोर्ट आकार का फोटो
- (2) स्पष्ट हस्ताक्षर
- (3) कक्षा 10वीं का अंकपत्र एवं प्रमाणपत्र
- (4) एनसीवीटी/एससीवीटी द्वारा जारी आईटीआई अंकपत्र एवं प्रमाणपत्र
- (5) एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस के समुदाय प्रमाण पत्र (निर्धारित प्रारूप में)(यदि लागू हो)
- (6) पीडब्ल्यूबीडी प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)।

प्रश्न-9. किस प्रकार की कमी होने पर आवेदन अमान्य किये जा सकते हैं ?

उत्तर- निम्नलिखित में से किसी भी कमी/विसंगति या अनियमितता वाले आवेदन को अमान्य घोषित किया जा सकता है-

- (1) उचित स्कैन किए गए फोटोग्राफ और हस्ताक्षर के बिना आवेदन।
- (2) जन्मतिथि, शैक्षिक/व्यवसायिक योग्यता के संबंध में उचित प्रमाण पत्र के बिना आवेदन।
- (3) निर्धारित तिथि को निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूर्ण नहीं होने की स्थिति में।
- (4) जाति (ईडब्ल्यूएस/एससी/एसटी/ओबीसी) प्रमाण पत्र और अन्य प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में उपयुक्त प्राधिकारी से प्राप्त किए जाने चाहिए।
- (5) कोई अन्य मानी गई अनियमितता।

प्रश्न-10. दस्तावेज सत्यापन के लिए चयनित उम्मीदवारों के मेडिकल फिटनेस का मानदंड क्या होगा ?

उत्तर- दस्तावेज सत्यापन के लिए चयनित उम्मीदवारों को निर्धारित प्रपत्र (अधिसूचना में निर्धारित अनुलग्नक) में दस्तावेज सत्यापन के समय चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो सरकारी अधिकृत चिकित्सक (राजपत्रित), जो कि केन्द्रीय/राज्य अस्पताल के सहायक सर्जन के पद से नीचे का न हो, के द्वारा हस्ताक्षरित हो।

प्रश्न-11. क्या इंजीनियरिंग स्नातक और डिप्लोमा धारक उम्मीदवार प्रशिक्षण के लिए पात्र होंगे ?

उत्तर- इंजीनियरिंग स्नातक और डिप्लोमा धारक उम्मीदवार प्रशिक्षण के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे क्योंकि वे प्रशिक्षुता की अलग योजना द्वारा शासित होते हैं।

प्रश्न-12. क्या चयन के बाद प्रशिक्षुओं को उनके प्रशिक्षण से हटाया जा सकता है ?

उत्तर- आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे सभी पात्रता और अन्य मानदंडों को पूरा करते हों अन्यथा काम पर लगाये जाने के किसी भी चरण में, गलती से काम पर लगाये जाने की स्थिति में ऐसे उम्मीदवारों को बिना किसी पूर्व सूचना के हटा दिया जायेगा।

उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन(DV) के समय मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक है। यदि रेलवे प्रशासन को यह पता चलता है कि आवेदक ने गलत/फर्जी/झूठे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं, तो रेलवे प्रशासन प्रशिक्षण के लिए चयन के बाद भी किसी भी चरण में उम्मीदवार/ चयनित उम्मीदवार को बिना किसी सूचना के हटाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

प्रश्न-13. चयन की प्रक्रिया से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय किसका होगा ?

उत्तर- चयन की प्रक्रिया से संबंधित सभी मामलों में अंतिम निर्णय रेलवे प्रशासन का होगा।

प्रश्न-14. पश्चिम मध्य रेल के अंतर्गत Apprentice Act, 1961 से संबंधित आगामी अधिसूचना की जानकारी कहाँ से प्राप्त की जा सकती है ?

उत्तर- पश्चिम मध्य रेल के अंतर्गत Apprentice Act, 1961 से संबंधित आगामी अधिसूचना की जानकारी पश्चिम मध्य रेल की आधिकारिक वेबसाइट www.wcr.indianrailways.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।

नोट:- उम्मीदवार आवेदन करने से पूर्व अधिसूचना को ध्यानपूर्वक पढ़कर अपनी उम्मीदवारिता सुनिश्चित करें।